राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–श्री मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 7/2021
जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2021/5
दायर दिनांक– 08.01.2021
निर्णय दिनांक– 31.05.2024

उनवानी–

1. मानसिंह पुत्र कानसिंह
2. श्रीमती निर्मला कंवर पत्नि कानसिंह
   सर्वजाति राजपूत सर्वनिवासी दरडून्द तह0 रूपनगढ़ हाल नि0 प्लॉट नं0 70 पार्श्वनाथ इन्कलेव ई–ब्लॉक, वाटिका रोड़, गांव बास बिलवा, सांगानेर जयपुर राजस्थान।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. कानसिंह पुत्र तेजसिंह
2. प्रकाशसिंह पुत्र कानसिंह
   सर्वजाति राजपूत सर्वनिवासी दरडून्द तह0 रूपनगढ़
3. उप पंजीयक रूपनगढ़
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ जिला अजमेर

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–:

1. श्री परमानंद शर्मा अधि0 प्रार्थीगण
2. श्री सूरज सिंह अधि0 अप्रार्थी सं. 1

–:निर्णय:–

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते खातेदारी की घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु पेश किया है जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण आशा है परन्तु वाद के निस्तारण में समय लगना स्वाभाविक होने के कारण यह अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी संख्या 1 का अप्रार्थी संख्या 1 पिता, अप्रार्थी संख्या 2 भाई है एवं प्रार्थी संख्या 2 का अप्रार्थी संख्या 1 पति व अप्रार्थी संख्या 2 पुत्र है। प्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 2 के दादा, प्रार्थी संख्या 2 के श्वसुर का नाम, अप्रार्थी संख्या 1 के पिता का नाम तेजसिंह वल्द केसरसिंह है तथा प्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 2 की दादी, प्रार्थी संख्या 2 की सास का नाम, अप्रार्थी संख्या 1 की माता का नाम भंवर कंवर पत्नि तेजसिंह है। प्रार्थी संख्या 1 के दादा एवं प्रार्थी संख्या 2 के श्वसुर तेजसिंह वल्द केसरसिंह, प्रार्थी संख्या 1 की दादी एवं प्रार्थी संख्या 2 की सास स्व0 भंवर कंवर पत्नि तेजसिंह की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम दरडून्द पटवार हल्का निटूटी तहसील रूपनगढ़ के खाता संख्या नया/पुराना 227/116 के ख0न0 70 रकबा 3.1631 है0, ख0न0 71 रकबा 0.2346 है0 व ख0न0 78 रकबा 1.2135 है0 कुल खसरा 3 कुल रकबा 4.6112 है0 भूमि थी। प्रार्थी संख्या 1 के दादा एवं प्रार्थी संख्या 2 के श्वसुर तेजसिंह पुत्र केसरसिंह, प्रार्थी संख्या 1 की दादी एवं प्रार्थी संख्या 2 की सास भंवर कंवर पत्नि तेजसिंह की खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम दरडून्द तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर में स्थित है जिसके खाता संख्या नया/पुराना 226/115 के ख0न0 79 रकबा 0.0889 है0, ख0न0 80 रकबा 3.8427 है0 भूमि कुल खसरा 2 कुल रकबा 3.9316 है0 भूमि थी। प्रार्थी सख्या 1 के दादा, प्रार्थी संख्या 2 के श्वसुर तेजसिंह, प्रार्थी संख्या 1 की दादी व प्रार्थी संख्या 2 की सास की मृत्यु हो चुकी है। तेजसिंह व भंवर कंवर की मृत्यु के बाद वाद वर्णित भूमि अप्रार्थी संख्या 1 को 1/2 हिस्सा, हनुमानसिंह को 1/2 हिस्सा विरासत में प्राप्त हुआ था। इस प्रकार वाद वर्णित भूमि पैतृक पुश्तेनी भूमि होकर विरासत में प्राप्त भूमि है। वाद वर्णित पैतृक भूमि ख0न0 79 रकबा 0.0889, ख0न0 80 रकबा 3.8427 है0 भूमि कुल रकबा 3.9316 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 हनुमान सिह व भंवर कंवर द्वारा बैचान कर दिया गया था। उक्त के पश्चात से वाद वर्णित भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा शेष रहा था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2024.06.21 14:08:25 IST
Reason: SDMAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

वाद वर्णित भूमि पैतृक पुश्तैनी है। राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी संख्या 1 का वाद वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में अंकित 1/2 हिस्सा व 1/4 हिस्सा विरासत में प्राप्त भूमि है। अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त भूमि में निहित हिस्सा विरासत में प्राप्त होने के कारण प्रार्थी संख्या 1 को उक्त भूमि में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के तहत हक हिस्सा अधिकार जन्म से प्राप्त है जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 का वाद वर्णित भूमि राजस्व रिकार्ड में निहित 1/2 हिस्सा में प्रार्थी संख्या 1 को 1/3 हिस्सा निहित होकर कुल भूमि का 1/6 हिस्सा बनता है तथा वाद वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी संख्या 1 का निहित 1/4 हिस्सा में प्रार्थी संख्या 1 को 1/3 हिस्सा निहित होकर कुल भूमि का 1/12 हिस्सा बनता है। वाद वर्णित भूमि पैतृक पुश्तैनी विरासत में प्राप्त भूमि होने के कारण विधि अनुसार प्रार्थी संख्या 1 का उक्त भूमि में हक हिस्सा, अधिकार जन्म से ही प्राप्त हो गये है। वाद वर्णित भूमि पैतृक, पुश्तैनी होने के कारण अप्रार्थी 1 को उक्त सम्पर्ण भूमि में किसी तरह का कोई संव्यवहार करने, बैचान आदि निष्पादित करने का कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1, अप्रार्थी संख्या 2 के बहकावे में होने के कारण अप्रार्थी संख्या 2, अप्रार्थी संख्या 1 से उक्त पैतृक पुश्तैनी भूमि के बाबत् अवैध रूप से संव्यवहार करवा कर, बैचान करवा कर उक्त पैतृक पुश्तैनी भूमि को खुर्द बुर्द करने पर उतारू है। प्रार्थीगण के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को समझाने पर अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा प्रार्थी संख्या 2 के साथ दिनांक 1.12.2020 को झगड़ा किया तथा जान से मारने की धमकी दी। अप्रार्थी संख्या 1 को वाद वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में हो रखे अंकन के आधार पर उक्त पैतृक , पुश्तैनी सम्पति को बेचान, खुर्द–बुर्द करने का कोई विधिक अधिकार नही है। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध है। क्योंकि प्रार्थना–पत्र में वर्णित भूमि पैतृक व पुश्तैनी भूमि है जिसमें प्रार्थी संख्या 1 को हक हिस्सा विधि अनुसार प्राप्त है। उक्त के बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 1 उक्त भूमि के बाबत् संव्यवहार कर दस्तावेज निष्पादित करने पर उतारू है।

प्रार्थी की ओर से निवेदन है कि ग्राम दरडून्द के ख0न0 70 रकबा 3.1631 है0, ख0न0 71 रकबा 0.2346 है0 व ख0न0 78 रकबा 1.2135 है0 में अप्रार्थी संख्या 1 का राजस्व रिकार्ड में अंकित 1/2 हिस्सा तथा ख0न0 79 रकबा 0.0889 है0, ख0न0 80 रकबा 3.8427 है0 में अप्रार्थी संख्या 1 का राजस्व रिकार्ड में अंकित 1/4 हिस्सा बाबत् वह किसी तरह का रहन, बैचान हेतु दस्तावेज निष्पादित नही करे व अप्रार्थी संख्या 3 को पाबन्द किया जावे कि अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा उक्त भूमि के रहन, बैचान बाबत् दस्तावेज पेश करने पर उक्त भूमि का पंजीयन नहीं करें व एवं अप्रार्थी संख्या 4 को पाबन्द किया जावे कि अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से की भूमि के राजस्व रिकार्ड में किसी तरह का कोई परिवर्तन, परिवर्द्धन नहीं करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थीगण के नाटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से प्रकरण में जवाब पेश नही करने पर उसका जवाब बन्द किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 4 पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ की ओर से जवाब पेश किया गया। पैरोकार सरकार ने प्रकरण में किसी तरह का कोई राजहित प्रभावित नहीं होना जाहिर किया। प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना–पत्र के तथ्यों का दोहरान करते हुए वाद वर्णित भूमि में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार होने के कथन किये। वकील प्रार्थी ने वाद वर्णित पैतृक, पुश्तैनी भूमि में अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने हेतु निवेदन किया ताकि उक्त भूमि का किसी प्रकार का कोई बैचान, रहन आदि न हो सके। वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में प्रार्थी अधिवक्ता के तथ्यों का खंडन करते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण उक्त भूमि को अपने हिस्से में अंकन करवाकर उक्त भूमि का बैचान करना चाहते है, इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावें। पैरोकार सरकार ने अपने जवाब को ही बहस के तथ्य माने जाने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया व वकील प्रार्थी, अप्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रार्थी द्वारा पत्रावली के साथ संलग्न जमाबंदी संवत् 2070–2073 जामाबन्दी 2075 खाता संख्या 227 (पुराना 116) के ख0न0 70, 71, 78 ग्राम दरडून्द की प्रतिलिपि व खाता संख्या 226 (पुराना 115) के ख0न0 79 व 80 की प्रतिलिपि, खतौनी एकीकरण जमाबन्दी संवत् 2020 खाता संख्या 15 ख0न0 70, 79, 80 की प्रतिलिपि, नामान्तरकरण संख्या 68 प्रतिलिपि खाता संख्या 15 व खसरा गिरदावरी संवत् 2074–2077 (ख0न0 70, 71, 78, 79, 80) का अवलोकन किया गया। उक्त अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के पिता अप्रार्थी संख्या 1 कानसिंह पुत्र तेजसिंह को खातेदारी विरासत से प्राप्त हुई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2024.06.21 14:03:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

अतः प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में स्पष्ट होते है। वादग्रस्त भूमि के बैचान/अन्तरण होने से वाद बाहुल्यता की संभावना को देखते हुए अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में स्पष्ट होता है। इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दु प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 को वादग्रस्त भूमि के बैचान, रहन, अन्तरण आदि नही करने व अप्रार्थी संख्या 3 व 4 को वादग्रस्त भूमि ग्राम दरडून्द के ख0न0 70 रकबा 3.1631 है0, ख0न0 71 रकबा 0.2346 है0 व ख0न0 78 रकबा 1.2135 है0, ख0न0 79 रकबा 0.0889 है0 व ख0न0 80 रकबा 3.8427 है0 वादग्रस्त भूमि के पंजीयन नहीं करने एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2024.06.21 14:03:25 IST
Reason: SelfAttested